Grms No 2025/518

फर्द अहकाम

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थीया :– केसर देवी पुत्री खुमाराम पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी छापरी कलां तहसील मौलासर हाल निवासी दीनदारपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज. ।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– अमरचन्द पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासीगण छापरी कलां तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज. वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या **178/2025** सन्–**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
06.08.2025	प्रार्थीया केसर देवी पुत्री खुमाराम पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी छापरी कलां तहसील मौलासर हाल निवासी दीनदारपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज. ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अमरचन्द पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासीगण छापरी कलां तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राज. वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीया श्री समदर सिंह के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्को पर मनन् करने तथा प्रार्थीया के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक सरहद छापरी कलां पटवार हल्का छापरी कलां के खसरा संख्या 160, 161, 162, 96, 167, 318 तथा 317 (पुराने खसरा संख्या 143, 47 तथा 76) की भूमि में विकय/हस्तान्तरण नहीं करेंगे व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनायें रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश 39 नियम 3 की पालना न होने पर उक्त आदेश आगामी तारीख पेशी को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली [illegible]8.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Mohan Bhati Date: 2026.04.09 17:28:32 IST Reason: SelfAttested 8/9/25 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 16/9/25 को पेश हो	

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र O6 R16 CPC, एवं O6-R-17 CPC का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों की सूची पेश की जो पत्रावली शामिल हो। पत्रावली के निरीक्षण मूल वाद संख्या 297/2025 खारीज हो चुका है। अतः मूल वाद के निस्तारण उपरान्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली मूल वाद निस्तारित होने पर खारिज की जाकर फैसलशुदा शामिल नम्बर के कम हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:28:32 IST
Reason: SelfAttested